न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—170/2020/223 (2020/00170)

1. श्रीमती कमला पत्नि तेजाराम,
2. रामदेव पुत्र तेजाराम,
3. बलदेव पुत्र तेजाराम,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी हनुवंतपुरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती श्याना पुत्री तेजाराम पति बुद्धाराम, जाति गुर्जर, निवासी मानपुरा, तहसील जैतारण, जिला पाली ।
5. कानाराम पुत्र छीतर,
6. रामपाल पुत्र छीतर,
7. पेमाराम पुत्र माधो,
8. आम्बा पुत्र माधो,
9. शिवराज पुत्र माधो,
10. हरिराम पुत्र माधो,
    समस्त जाति गुर्जर, निवासी हनुवंतपुरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 21.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 90/2014.

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 13.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की आराजियात खाता संख्या 1/41 खसरा नंबर 104 रकबा 10—1—10 बीघा वादीगण के पूर्वज गंभीरा पुत्र लक्ष्मण के नामदर्ज रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही उक्त आराजियात पर कृषि कार्य करते आ रहे है । जमाबंदी सन् फसली 1363 में गंभीरा बहैसियत कृषक काबिज काश्त है

इसी कारण अजमेर में दिनांक 15.6.1958 अर्थात् संवत् 2015 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व ही जमाबंदी संवत् 2013 लगायत 2016 में गंभीरा वल्द लक्ष्मण खसरा नंबर 104 मिन रकबा 3–0–0 कॉलम संख्या 5 में बहैसियत खातेदार दर्ज है एवं खसरा नंबर 104 मिन रकबा 7–1–10 बीघा चारागाह दर्ज है । तत्पश्चात् जमाबंदी संवत् 2017 लगायत 2020 में गंभीरा वल्द लक्ष्मण खसरा नंबर 104 रकबा 10–1–10 बीघा गैर खातेदार काश्तकार मुद्दत तीन साल दर्ज है। तत्पश्चात् खसरा गिरदावरी के अनुसार गंभीरा लगातार बहैसियत कृषक काबिज काश्तकार रहा है लेकिन जमाबंदी संवत् 2025 लगायत 2028 में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा खसरा नंबर 104 मिन रकबा 9–1–10 बीघा अवैधानिक रूप से चारागाह दर्ज कर दी जबकि इसके पश्चात् भी गंभीरा लगातार बहैसियत खातेदार संपूर्ण आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में संपूर्ण आराजियात चारागाह दर्ज कर दी गई । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजियात साबिक खसरा नंबर 104 वर्किंग खसरा नंबर 140 रकबा 5–0–10 तथा 141 रकबा 5–1–00 बीघा के आधार खसरा नंबर 93 रकबा 0.81 है0 एवं खसरा नंबर 96 रकबा 0.81 है0 किस्म चाह तथा खसरा नंबर 96/424 रकबा 0.01 किस्म गैर मुमकिन चाह का खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2018 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्याया0 सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा श्री ओमप्रकाश भट्ट को अपना अभिभाषक नियुक्त किया था लेकिन दौराने वाद उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष स्थानातंरित हो जाने के कारण अभिभाषक द्वारा ही पीसांगन में श्री धनीराम ज्योतिषी को अभिभाषक नियुक्त कर दिया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं करवाया गया जिससे प्रार्थीगण श्री ओमप्रकाश भट्ट अभिभाषक से ही अजमेर आकर मिलते रहे एवं लगातार फीस देते रहे जबकि वाद पत्र दिनांक 21.5.2018 को ही निरस्त हो चुका था । तत्पश्चात् दिनांक 2.9.2020 को कानाराम पुत्र छीतर द्वारा अभिभाषक से जानकारी चाही कि वर्तमान में आप स्वंय प्रकरण को डील कर रहे है या अन्य अभिभाषक नियुक्त कर रखा है जिस पर उन्होंने बताया कि वे तो तो सिर्फ अजमेर में ही प्रकरण की पैरवी करते है एवं प्रार्थीगण के प्रकरण की पैरवी हेतु बाद हस्तातंरण उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष पैरवी हेतु श्री धनीराम ज्योतिषी को अभिभाषक नियुक्त किया गया है जिस पर कानाराम प्रार्थी अभिभाषक श्री धनीराम ज्योतिषी से जाकर मिला जिन्होंने अवगत कराया कि उक्त वादपत्र सन् 2018 में ही निर्णित हो चुका है तब दिनांक 2.9.2020 को ही नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर आवश्यक नकलें प्राप्त की गई तथा अजमेर स्थित अभिभाषक से संपर्क किया जिन्होंने सलाह दी, तब पक्षकारान द्वारा आपस में राय मशविरा किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया जाकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अभिभाषक महोदय द्वारा जानकारी समय पर नहीं दिये जाने की सजा पक्षकारान को नहीं दी जा सकती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2018 को पारित की गई है जबकि अपीलांटस द्वारा अपील दिनांक 16.9.2020 को लगभग 27 माह बाद विलंब से पेश की गई है जो भारी मियाद बाहर पेश की गई है तथा विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वाद एवं प्रकरण की जानकारी रखने का दायित्व अभिभाषक के साथ–साथ पक्षकार का भी है । प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता का शपथ पत्र पेश नहीं किया है । अपीलांटस को अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी प्रारंभ से थी किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर समयावधि में अपील पेश नहीं की गई तथा विलंब के संबंध में असत्य एवं मनगंढ़त तथ्य धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र में अंकित किये है जो स्वीकार्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जावे तथा अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में यह कथन किया है कि उनके द्वारा वाद विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के समक्ष जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश भट्ट पेश किया गया था किन्तु बाद में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को स्थानातंरित होने पर अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश भट्ट ने उक्त प्रकरण में अन्य अधिवक्ता श्री धनीराम ज्योतिषी को नियुक्त कर दिया था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई । इस संबंध में अपील पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति दिनांक 17.9.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.9.2014 को वादीगण ने जरिये अभिभाषक के वादपत्र उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में पेश किया है । इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि वाद सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के समक्ष पेश किया गया था किन्तु बाद में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को स्थानातंरित हो जाने पर अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश भट्ट द्वारा अपने स्तर पर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में प्रकरण में अधिवक्ता श्री धनीराम ज्योतिषी को नियुक्त कर दिया तथा इस संबंध में अपीलांटस को कोई जानकारी नही दी गई जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी थी, किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलांटस/वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश भट्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने तथा वाद के उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को हस्तातंरण किये जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ पेश नहीं किये है। हम विद्वान राजकीय अधिवक्ता के इस तर्क से भी सहमत है कि अपने वाद एवं प्रकरण की जानकारी रखने का दायित्व स्वंय पक्षकार का है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जाती रही है । अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वाली कार्यवाही तथा निर्णय के संबंध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता के संपर्क में रहने के बावजूद निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं दी गई हो यह संभव प्रतीत नहीं होता है । दिनांक 2.9.2020 से पूर्व अपीलांटस को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी नही होने के संबंध में कोई संतोषप्रद एवं उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । अपीलांटस द्वारा अपने प्रकरण में इतनी लंबी अवधि तक जानकारी नहीं करना लापरवाही का द्योतक है। आर0बी0जे0 2017 (24) पेज 122 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "Section 5- Litigant should be vigilant enough and should be vigilant enough and should keep himself informed about the pending

proceedings. Bald assertions of the part of the petitioner that the counsel did not inform about the disposal to the application cannot be considered to be a plausible explanation for condonation of inordinate delay ''

अपीलांटस ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 215.2018 के विरूद्ध हस्तगत अपील लगभग 27 माह पेश की है जो निश्चित रूप से मियाद बाहर है । अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे भी संतोषप्रद एवं उचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

8. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद बाहर पेश किये जाने के फलस्वरूप खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर